**भारत सरकार**

**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1224**

**दिनांक 16 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम में अनियमितताएं**

**1224. श्रीमती बिमला कश्यप सूद:**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या यह सच है कि मंत्रालय ने वर्ष 2009 से 2011 के बीच राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम में हुए 241 करोड़ रुपये के घोटाले के बारे में सी.बी.आई. द्वारा की जा रही जांच के मामले को प्रधान मंत्री कार्यालय से छुपाया है जिसका खुलासा आर.टी.आई. के तहत मांगी गई अनेकों जानकारी के प्रत्युत्तर से हुआ;

(ख) : यदि हां, तो क्या सरकार इस शिशु गृह योजना का संचालन करने वाले 'मदर' एन.जीओ. और इतना बड़ा घोटाला छुपाने के लिए जिम्मेवार मंत्रालय के अधिकारियों के विरुध्द समुचित कार्रवाई कर रही है;

(ग) : यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) : यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा तीरथ महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

**(क) से (ग) : जी, नहीं । वास्‍तव में, मंत्रालय को भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के विरूद्ध शिशु गृहों के प्रबंधन में अनियमितताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्‍त हुई थीं और इनकी जांच की गई । केंद्रीय सतर्कता आयोग(सीवीसी) की सलाह के अनुसार, मंत्रालय ने शिकायतों की जांच का कार्य केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (सीबीआई) को सौंप दिया है । जांच की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।**

**(घ) : उपर्युक्‍त (क) से (ग) के उत्‍तर को ध्‍यान में रखते हुए प्रश्‍न नहीं उठता ।**

**\*\*\*\*\***